// छात्र–छात्राओं के लिए दिशा–निर्देश //

- **ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है:–**
  1. हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में नामांकित परीक्षार्थी को पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं हैं।
  2. छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर, छ.ग. राज्य ओपन बोर्ड, छ.ग. राज्य का अन्य शासकीय बोर्ड, सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (CBSE), इंडियन कौंसिल फॉर सेकेण्डरी एजुकेशन (ICSC) इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (ICSE) एवं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान (NIOS) से बारहवीं की परीक्षा उत्तीर्ण छात्र/छात्रा को स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश/परीक्षा हेतु पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।
  3. शैक्षणिक अर्हता के आधार पर छ.ग. राज्य के राजकीय विश्वविद्यालय यथा–पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि. रायपुर, अटल बिहारी वाजपेयी वि.वि. बिलासपुर, बस्तर वि.वि. जगदलपुर, संत गहिरा गुरू वि.वि. सरगुजा अम्बिकापुर, पं. सुन्दरलाल शर्मा मुक्त वि.वि. बिलासपुर इत्यादि के समकक्ष एवं उक्त वि.वि. से सम्बद्ध स्वशासी महाविद्यालयों से अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी को एकीकृत पाठ्यक्रम होने पर पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।
- **ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, वे निम्न प्रकिया का पालन करना सुनिश्चित करेंगे :–**
  1. छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है, कि पात्रता (Eligibility) आवेदन फार्म विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.durguniversity.ac.in या www.durg.ucanapply.ac.in से आवेदन कर सकते है, आनलाईन आवेदन करने के पूर्व पात्र/अपात्र के संबंध में विश्वविद्यालय पात्रता शाखा से संपर्क कर सकते है।
  2. आनलाईन पात्रता आवेदन फार्म भरने के लिए आवेदक को अपना मोबाईल नम्बर, ई–मेल आई. डी.; लेटेस्ट फोटो; हस्ताक्षर एवं पात्रता शुल्क की राशि जमा करने के लिए एटीएम कार्ड /नेट बैकिंग की आवश्यकता होगी।
  3. छात्र/छात्रा पात्रता आवेदन फार्म में अपना नाम, पिता का नाम एवं माता का नाम शैक्षणिक अर्हता (अंकसूची) के आधार पर एवं जन्म तिथि दसवीं (मैट्रिक) या जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर संपादित करेंगे।
  4. आवेदक Information Regarding Qualifying Examination में पहले 10 वीं 12वीं अंकसूची की मूलप्रति (Original) उसके पश्चात् स्नातक (Graduation) अंकसूची की मूलप्रति (Original) में वर्षवार (जैसे भाग–1, भाग–2 एवं भाग–3) या (प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर, चतुर्थ सेमेस्टर, पंचम सेमेस्टर, छः सेमेस्टर, सातवॉ सेमेस्टर, आठवॉ सेमेस्टर इत्यादि) की पी.डी.एफ. बनाकर अपलोड करेंगे इसी तरह स्नातकोत्तर (Post Graduation) अंकसूची की मूलप्रति (Original) में भी वर्षवार अंकसूची (जैसे पूर्व (Previous) फाइनल Final) या (प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर, चतुर्थ सेमेस्टर, इत्यादि) की पी.डी.एफ. बनाकर अपलोड करेंगे एवं पी–एच.डी. के अभ्यर्थी उपर्युक्त दस्तावेजो के अतिरिक्त अनिवार्यतानुसार नेट/सेट सर्टिफिकेट, पी–एच.डी. प्रवेश परीक्षा से उत्तीर्ण प्रमाण पत्र एवं डी.आर.सी. की चयन सूची अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे ।
  5. अमहाविद्यालयीन (Private) परीक्षार्थी उपर्युक्त दस्तावेजों के अतिरिक्त प्रवजन प्रमाण पत्र (Migration) एवं विश्वविद्यालय क्षेत्राधिकार के भीतर न्यूनतम एक वर्ष (परीक्षा आवेदन फार्म भरने की तिथि) तक निवासरत् होने का निवास प्रमाण पत्र या शपथ पत्र (Affidavite) की मूलप्रति (Original) अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।
  6. बैचलर ऑफ एजुकेशन (बी.एड.) के अभ्यर्थी, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् छ.ग. शंकर नगर, रायपुर (CERT) द्वारा जारी अस्थायी आबंटन पत्र (Allotement Letter) की पी.डी.एफ. बनाकर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।
  7. वे अभ्यर्थी जो उम्र/प्रतिशत में छूट प्राप्त करना चाहते है, उन्हें छत्तीसगढ़ का जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र की पी.डी.एफ. बनाकर फार्म में अपलोड करने पर उन्हें नियमानुसार छूट की पात्रता होगी।
  8. जिन अभ्यर्थी का गेप होगा उन्हें नोटरी (स्टाम्प पेपर) से गेप सर्टिफिकेट बनाकर, अपलोड करना होगा।
  9. Other वाले सेक्शन में डिप्लोमा एवं आवश्यकतानुसार डिग्री/प्रोविजनल/प्रवेश पत्र/स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज अपलोड करेंगे।
  10. पात्रता शुल्क (Eligibility Fees) की राशि 250 रू. जमा करने के पूर्व अभ्यर्थी, पात्रता आवेदन फार्म की समस्त कंडिका/दिशा– निर्देश/शैक्षणिक अर्हता/दस्तावेज की अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित करने के पश्चात् पात्रता शुल्क (Eligibility Fees) की राशि पेमेंट करना सुनिश्चित करेंगे।
  11. **जमा किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जावेगा और ना ही समायोजित किया जावेगा।**
  12. **पात्रता आवेदन फार्म सहित उपरोक्त सभी दस्तावेज की छायाप्रति वि.वि. पात्रता शाखा में जमा करने के 02 दिवस के पश्चात् पात्र/अपात्र के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते है।**

      ऐसे अभ्यर्थी/परीक्षार्थी को पात्रता प्रमाण पत्र जारी की जावेंगी जिनकी आवेदन एवं दस्तावेज यू.जी.सी./एस.सी.ई.आर.टी./बी.सी. आई. की दिशा– निर्देशों, प्रावधानित नियमों/शर्तो एवं विश्वविद्यालय की संदर्भित प्रवेश/परीक्षा/विषय ग्रुप/संकाय संबंधित अध्यादेशों में प्रावधानित शर्तो तथा छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत व दिशा निर्देशों के अनुरूप सभी शर्तो को पूर्ण करते हो उन्हें ही पात्रता प्रमाण पत्र जारी की जावेंगी।
  13. प्रवजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) की मूलप्रति (Original) को नियमित (Regular) छात्र/छात्रा नामांकन फार्म (Enrollment Form) के साथ विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक संबंधित महाविद्यालय में जमा करेंगे एवं अमहाविद्यालयीन (Private) परीक्षार्थी परीक्षा फार्म के साथ संबंधित महाविद्यालय/परीक्षा केन्द्र में निर्धारित तिथि तक जमा करना सुनिश्चित करेंगे।
  14. आनलाईन आवेदन फार्म सबमिट करने के दौरान पात्रता आवेदन फार्म/दस्तावेज अपलोड करने एवं शुल्क संबंधी किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या का निवारण के लिए एजेंसी/आनलाईन पार्टल में उपलब्ध हेल्पलाईन नंबर से संपर्क करेंगे।
  15. अपूर्ण/अधूरा/अस्पष्ट एवं नियम विरूद्ध प्राप्त आवेदन फार्म एवं दस्तावेज संलग्न करने पर पात्रता प्रमाण पत्र हेतु प्रस्तुत आवेदन स्वतः निरस्त माना जावेगा, जिसके लिए छात्र–छात्रा स्वंय जिम्मेदार होंगे।

आवेदक का घोषणा–पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूँ, कि विश्वविद्यालयीन अध्यादेश एवं पात्रता प्रमाण पत्र से संबंधित समस्त औपचारिकताओं, दिशा–निर्देशों एवं छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत के अनुसार मेरे द्वारा दी गई जानकारी एवं प्रमाण–पत्र पूर्णतः सही हैं। उपरोक्त जानकारी किसी भी समय असत्य/अपात्र पाये जाने पर मुझे उक्त कक्षा में प्रवेश/परीक्षा के लिए जारी किया गया पात्रता प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय द्वारा स्वतः निरस्त कर दिया जावेगा। भारतीय दण्ड विधि के अनुसार यदि कार्यवाही की जाती हैं एवं प्राथमिकी दर्ज कराई जाती हैं, तो मुझे कोई आपत्ती नहीं होगी।

दिनांक ....   आवेदक का हस्ताक्षर